रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 635] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 1, 2001/भाद्र 10, 1923

No. 635] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 1, 2001/BHADRA 10, 1923

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2001

का.आ. 853(अ).—भारत सरकार का, स्थायी सलाहकार समिति द्वारा उसे की गई इन सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि कच्चे जूट और जूट पैकेज सामग्री के उत्पादन तथा उसके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं, पूर्ति या वितरण के लिए ऐसी न्यूनतम प्रतिशतता में, जो 30 जून, 2002 तक या और आदेश होने तक, जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथाविनिर्दिष्ट है जूट पैकेज सामग्री में पैक की जाएगी।

अनुसूची

क्रम सं.	वस्तु	भारत में उत्पादित कच्चे जूट से भारत में विनिर्मित जूट पैकेज सामग्री में पैक किए जाने के लिए अपेक्षित वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के कुल उत्पादन की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)
1.	खाद्यान्न	शत् प्रतिशत
2.	चीनी	शत् प्रतिशत

2. जूट पैकेज सामग्री की पूर्ति में किसी भी प्रकार की कमी आने की स्थिति में, वस्त्र मंत्रालय संबंधित प्रयोगकर्ता मंत्रालय के परामर्श इन उपबंधों में क्रमश: खाद्यान्न और चीनी के लिए 20% अधिकतम छूट दे सकता है।

10 कि.ग्रा. या उससे कम के उपभोक्ता छोटे पैकों को और निर्यात पैकेज को इस आदेश के प्रवर्तन

4. "विटामिन युक्त पौष्टिक चीनी" को इस आदेश के विस्तार क्षेत्र से छूट होगी।

[फा. सं. 9/4/2001-जूट]

टी. नंदकुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 1st September, 2001

S.O. 853 (E).—Whereas the Central Government, after considering the recommendations made to it by the *Standing Advisory Committee, is satisfied that it is necessary so to do in the interest of production of raw jute and jute* packaging material, and of persons engaged in the production thereof;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub-section (1) of section 16 of the Jute Packaging materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby directs that with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the commodities specified in column (2) of the schedule below, shall be packed in jute packaging material, for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the said schedule for the period upto 30th June, 2002 or until further orders, whichever is earlier.

SCHEDULE

S. No.	Commodities	Percentage of total production of commodity or class of commodities required to be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute, produced in India.
(1)	(2)	(3)
1.	Foodgrains	Hundred percent
2	Sugar	Hundred percent

2. In case of any shortage in supply of jute packing material, Ministry of Textiles may, in consultation with the user Ministry concerned, relax these provisions upto a maximum of 20% for foodgrains and sugar respectively.

3. Small consumer packs of 10 kgs and below and export packing in respect of foodgrains and sugar shall be exempted from the operation of this order.

4. "Sugar fortified with vitamins" shall be exempted from the purview of this order.

[F. No. 9/4/2001-Jute]

T. NANDAKUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.